**आर बी आय / २००५-०६/ ३९२**

**युबीडी. (पीसीबी). परिप. क्र. ५४/ ०९. ३९.०००/ ०५-०६**

मे २६, २००६

सर्व प्राथमिक (नागरी सहकारी बँकांचे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रिय महोदय

**वर्ष २००६-०७ साठी धोरण निवेदन - उचित प्रणाली संहिता - बँकांच्या शुल्कांचे प्रदर्शन अधिकारी**

सोबत प्रत जोडलेल्या, वर्ष २००६-०७ च्या वार्षिक धोरण निवेदनाच्या परिच्छेद १६२चा कृपया संदर्भ घ्यावा.

२. अस्तित्वात असलेल्या निदेशांनुसार, सेवा आकार ठरविण्याचे, निर्णय वैयक्तिक रित्या बँकांच्या संचालक मंडळांवर सोपविण्यात आला आहे. असे आकार ठरवित असतांना, ते वाजवी, दिलेल्या सेवांच्या खर्चाशी सातत्य राखणारे आणि कमी मूल्याचे / आकारमानाचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना परवडणारे / दंड न वाटणारे असे असावेत अशी अपेक्षा बँकांकडून केली जाते.

३. रिझर्व बँकेकडे जनतेकडून अजूनही निवेदने येत आहेत की, बँकांकडून अवाजवी, अपारदर्शक सेवा- आकार घेतले जात आहेत. यावरुन या बाबतीय संस्थात्मक यंत्रणा पुरेशा नाहीत, हेच स्पष्ट होत आहे. बँकव्यवहारातील सेवांमध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून, अनुसूचित बँकांना, त्यांनी त्यांच्या वेबसईटवर, सोबतच्या परिशिष्ट - १ मधील नमुन्यात, त्यांच्या निरनिराळ्या सेवा - आकाराची सविस्तर माहिती प्रदर्शित करुन ती अद्यावत ठेवावी असे त्यांना कळविले जात आहे. देऊ करीत असलेल्या सेवांनुसार या नमुन्यात बदल करता येऊ शकतील.

४. याशिवाय, अनुसूचित नागरी सहकारी बँकांसह इतर युसीबीज यांनीही, त्यांच्या काही विशिष्ट सेवांबद्दलच्या आकारांची माहिती परिशिष्ट २ मध्ये दिल्याप्रमाणे प्रदर्शित करावी असे त्यांना कळविण्यात येत आहे. ही माहिती स्थानिक भाषेतही प्रदर्शित करता येईल

५. अनुसूचित युसीबीजनी, जून १५, २००६ पर्यंत, त्यांचे सध्या लागू असलेले सेवा - आकार ( परिशिष्ट २). आरबीआयच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यासाठि सादर करावेत. ही माहिती अद्यावत करण्यासाठी या सेवा- आकारातील बदल आम्हाला वेळोवेळी कळविला जावा.

आपला विश्वासू
( एन एस विश्वनाथन )
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

**वर्ष २००६-०७ (एप्रिल २००७) साठी वार्षिक धोरण निवेदन**
**उचित प्रणाली संहिता : बँक- आकारांचा गैरवाजवीपणा**

१६२ रिझर्व बँकेकडे जनतेकडून अजूनही निवेदने येत आहेत की, बँकांकडून अवाजवी, अपारदर्शक सेवा- आकार घेतले जात आहेत. यावरुन या बाबतीय संस्थात्मक यंत्रणा पुरेशा नाहीत, हेच स्पष्ट होत आहे. बँक व्यवहारातील सेवांमध्य उचित प्रणाली आणण्यासाठी प्रायोजित करण्यात येते की :-

रिझर्व बँकेकडून मंजूर झालेल्या नमुन्यामध्ये, निरनिराळ्या सेवांचे आकार, बँकांनी, त्यांच्या कार्यालयात / शाखेत आणि तसेच त्यांच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करणे हे बँकांवर बंधनकारक आहे. रिझर्व बँक देखील तिच्या वेबसाईटवर ही सविस्तर माहिती प्रदर्शित करील.

**परिशिष्ट - I**

**सेवा- आकार- बँकेच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्याची किमान माहिती**

| |
|---|
| **बँकेचे नाव** |
| **बचत खाते - नो फ्रिल्स खाते** |
| किमान शिल्लक |
| ती तेवढी न ठेवल्याबद्दल आकार |
| **चेक सुविधा असलेली बचत खाती** |
| किमान शिल्लक |
| ती तेवढी न ठेवल्यास आकार |
| **चेक सुविधा नसलेली बचत खाती** |
| किमान शिल्लक |
| ती तेवढी न ठेवल्यास आकार |
| **बचत खात्यांच्या इतर सुविधा** |
| दुसरे विवरणपत्र देणे |
| चेकची सुटी पाने देणे |
| दुसरे पासबुक देणे |
| किमान शिल्लक काढण्याची रीत |
| **स्वतःच्याच बँकेतून देकाराच्या (प्रेषणाच्या) सुविधा** |
| डीडी - देणे |
| डीडी - रद्द करणे |
| डीडी -दुसरा देणे |
| डीडी - पुनर वैधीकरण |

| |
|---|
| पीओ - देणे |
| पीओ - रद्द करणे |
| पीओ - दुसरा देणे |
| पीओ - पुनर वैधीकरण |
| टीटी - देणे |
| टीटी - रद्द करणे |
| टीटी - दुसरा देणे |
| टीटी - पुनर वैधीकरण |
| ई एफ टी - आवक |
| ई एफ टी – जावक |
| आर टी जी एस – जावक |
| आर टी जी एस - आवक |
| चेक्स गोळा करणे |
| **दुसऱ्या बँकेद्वारा देकार (प्रेषण )** |
| डीडी - देणे |
| डीडी - रद्द करणे |
| डीडी -दुसरा देणे |
| डीडी - पुनर वैधीकरण |
| पीओ- देणे |
| पीओ- रद्द करणे |
| पीओ - दुसरा देणे |
| पीओ- पुनर वैधीकरण |
| टीटी - देणे |
| टीटी - रद्द करणे |
| टीटी - दुसरा देणे |
| टीटी - पुनर वैधीकरण |
| ई एफ टी - आवक |
| ई एफ टी – जावक |
| आर टी जी एस – जावक |
| आर टी जी एस - आवक |
| चेक गोळा करणे |
| **विदेशी मुद्रा व्यवहार** |
| देकार - बाह्य / जावक |
| देकार - आवक |

| |
|---|
| टीसीज - विक्री |
| टीसीज - रोखीकरण |
| टीसीज - विदेशी मुद्रा |
| **चेक गोळा करणे** |
| स्थानिक |
| स्वतःच्या बँकेतून बाहेर गावातील |
| दुसऱ्या बँकेतून बाहेर गावातील |
| चेक्स फेटाळले जाणे - बाहेरगावातील - स्वतःच्या बँकेमधून |
| चेक्स फेटाळले जाणे - बाहेरगावातील - दुसऱ्या बँकेमधून |
| **फुटकळ कर्ज** |
| कर्ज प्रक्रिया आकार |
| पूर्व - प्रदान शुल्क / आकार |
| थकबाकी नाही प्रमाणपत्र |
| पतदारी प्रमाणपत्र |
| मासिक हप्ता उशीरा भरल्यास आकार |
| स्थिर व्याजदरापासून तरता व्याजदर बदलण्याचा आकार |
| तरत्या व्याजदरापासून स्थिर व्याजदर बदलण्याचा आकार |
| **कार्डे** |
| **ए टी एम** |
| सभासदत्व शुल्क |
| वार्षिक शुल्क |
| नूतनीकरण शुल्क |
| विलंब - प्रदान आकार |
| व्याजापोटी आकार |
| पुन्हा देण्यासाठी आकार |
| भागीदार बँकांसाठी व्यवहार शुल्क |
| भागीदार नसलेल्या बँकांसाठी व्यवहार शुल्क |
| **क्रेडिट कार्ड** |
| सभासदत्व शुल्क |
| वार्षिक शुल्क |
| नूतनीकरण शुल्क |
| विलंब - प्रदान आकार |
| व्याजापोटी आकार |
| पुन्हा देण्यासाठी आकार |
| रोकड निकासी |

| |
|---|
| **डेबिट कार्ड** |
| सभासदत्व शुल्क |
| वार्षिक शुल्क |
| नूतनीकरण शुल्क |
| विलंब – प्रदान आकार |
| पुन्हा देण्यासाठी आकार |
| रोकड निकासी |
| **संकीर्ण** |
| शिलके बद्दल चौकशी |
| शिल्लक रकमेचे प्रमाणपत्र |
| व्याजाचे प्रमाणपत्र |
| खाते बंद करणे |
| फॅक्स टेलिफोन / मोडेमचा वापर |
| फोटोचे साक्षीकरण |
| स्वाक्षरीचे साक्षीकरण |
| प्रदान थांबविण्याचा आकार |
| अन – उपोजित खाते |
| |

**परिशिष्ट - II**

**सेवा आकार - बँकेच्या शाखांच्या परिसरात प्रदर्शित करावयाची किमान माहिती**

**अ) विना- आकार**

**ब) इतर**

| |
|---|
| बचत खात्यात ठेवावयाची किमान शिल्लक रक्कम |
| बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास आकारले जाणारे शुल्क |
| बाहेरगावातील चेक्स गोळा करण्यासाठी आकार |
| डिमांड ड्राफ्ट देण्यासाठी आकार |
| चेक्स बुक देण्यासाठी आकार |
| लेखा विवरणपत्र देण्यासाठी आकार |
| खाते बंद करण्यासाठी आकार (असल्यास) |
| एटीएम असलेल्या जागी जमा / निकासी साठी (असल्यास ) आकार |